राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थी का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक एवं राजकीय अधिवक्ता का नाम
1.	1571/2022 सूर्यकान्त पाण्डे	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	10.05.2022	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता
2.	1570/2022 दिलकुश मीणा	प्रमुख शासन सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य	10.05.2022	श्री अशोक बंसल, अभिभाषक एवं सुश्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

सुनवाई की तिथी : 17.09.2025
आदेश की दिनांक :
समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति एवं अन्तरनिहित बिन्दू समान है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 1571/2022 के तथ्य विवेचित किए जा रहे है।

प्रस्तुत अपील अनुसार अपीलार्थी दिनांक 2.5.2022 की वरिष्ठता सूची को चुनौती दे रहा है, जिसके तहत प्रत्यर्थी विभाग गलत वरिष्ठता के आधार पर 2022–23 की रिक्ति पर जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी आयोजित करने जा रहे हैं। (अनुलग्नक–1) अपीलार्थी ने दिनांक 13.3.2018 के विज्ञापन के अनुसरण में उद्योग विस्तार अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। (अनुलग्नक–2) उक्त विज्ञापन में उद्योग विस्तार अधिकारी, उद्योग निरीक्षक, आर्थिक सर्वेक्षक, हथकरघा निरीक्षक और नमक निरीक्षक नामक पाँच पदों के लिए विज्ञापन दिया गया था। अपीलार्थी ने उद्योग विस्तार अधिकारी के पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 27.9.2018 को परिणाम घोषित किया गया, जिसके तहत राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा

अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार चयन सूची प्रकाशित की गयी। प्रथम चयन सूची 14.12.2018 को प्रकाशित की गई थी। अपीलार्थी की अधियाचन 7.1.2019 को भेजा गया था और नियुक्ति का औपचारिक आदेश 16.1.2019 को जारी किया गया था, जिसमें अपीलार्थी की सामान्य वर्ग में मेरिट संख्या 13 थी। (अनुलग्नक–3 व 4) जहाँ तक उद्योग निरीक्षक के पद का संबंध है, यद्यपि एक सामान्य चयन किया गया था और 5.10.2018 को चयन सूची प्रकाशित की गई थी। (अनुलग्नक–5) दिनांक 14.12.2018 के आदेश के अनुसरण में, अपीलार्थी ने जनवरी 2019 में उद्योग विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। अपीलार्थी की सेवाएँ राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (जिसे आगे संक्षेप में 1966 के नियम कहा जाएगा) के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती हैं। 1966 के नियमों का नियम 29 वरिष्ठता का प्रावधान करता है और 1966 के नियमों की उपधारा 29(3) में यह प्रावधान है कि एक ही चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किसी विशेष श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता, उन व्यक्तियों को छोड़कर जो सेवा में शामिल नहीं होते हैं, उसी क्रम में नियुक्ति करेंगे जिसमें उनके नाम नियम 20 के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई सूची में रखे गए हैं। अपीलार्थी सामान्य श्रेणी में योग्यता रखता है और उसके आधार पर उद्योग विस्तार अधिकारी के संवर्ग में पहली वरिष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसमें अपीलार्थी का नाम दिनांक 1.2.2021 की वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर रखा गया था, जिसमें अपीलार्थी का नाम 12वें नंबर पर रखा गया था। (अनुलग्नक–6) उसके बाद वरिष्ठता सूची 10.6.2021 को प्रकाशित की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम भी क्रमांक 12 पर रखा गया। (अनुलग्नक–7) उपरोक्त दोनों वरिष्ठता सूचियां 1966 के नियमों के अनुसार प्रकाशित की गई थीं। उद्योग विस्तार अधिकारी और उद्योग निरीक्षक के पद से पदोन्नति 1966 के नियमों के प्रावधानों के तहत जिला उद्योग अधिकारी के पद पर होती है। 1966 के नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार, जिस व्यक्ति ने उल्लिखित पद पर तीन वर्ष का अनुभव पूरा कर लिया है, वे जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। उद्योग विस्तार अधिकारी, उद्योग निरीक्षक और हथकरघा निरीक्षक जैसे विभिन्न समूहों के समामेलन के बाद, 6.9.2021 को अनंतिम सूची प्रकाशित की गई और आश्चर्यजनक रूप से अपीलार्थी का नाम उद्योग विस्तार अधिकारी के संवर्ग में शामिल होने की तिथि के आधार पर रखा गया और उसका नाम 52 वें नंबर पर रखा गया और अपीलार्थी की वरिष्ठता की गणना 24.1.2019 से की गई थी जो कि उद्योग विस्तार अधिकारी के पद पर अपीलार्थी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है। (अनुलग्नक–8) उक्त अनंतिम वरिष्ठता सूची के विरुद्ध अपीलार्थी और समान स्थिति वाले व्यक्तियों ने उचित माध्यम से 8.9.2021 को आपत्तियां दायर कीं। (अनुलग्नक–9) अपीलार्थी की आपत्तियों पर विचार किए बिना और नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध

प्रत्यर्थी विभाग ने 2.5.2022 को अंतिम वरिष्ठता सूची जारी की। नियमों के अनुसार, वरिष्ठता भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए और शुरू में प्रतिवादियों द्वारा तैयार की गई सूची के आधार पर अपीलार्थी की दो साल की वरिष्ठता बरकरार रखी गई थी, लेकिन उसके बाद जब संयुक्त वरिष्ठता जारी की गई तो अपीलार्थी की वरिष्ठता उद्योग विस्तार अधिकारी के कैडर में शामिल होने की तारीख के आधार पर निर्धारित की गई थी। प्रत्यर्थी विभाग की कार्रवाई पूरी तरह से अवैध है और पवन प्रताप सिंह के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय नियमों और कानून के खिलाफ है। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना कि सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों की वरिष्ठता योग्यता के आधार पर पहली मौलिक नियुक्ति से निर्धारित की जाएगी। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से निष्क्रियता के कारण अपीलार्थी को उन व्यक्तियों के साथ रखा गया था जो योग्यता में नीचे थे। संयुक्त वरिष्ठता सूची का निर्धारण करते समय किसी नियम का पालन नहीं किया गया और कर्मचारियों के एक ही समूह के बीच कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया। जिन व्यक्तियों ने समान चयन प्रक्रिया में भाग लिया है और मेरिट में कम हैं, उन्हें केवल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर संयुक्त वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता प्रदान करते समय अपीलार्थी से ऊपर रखा गया। ऐसे व्यक्ति विभाग में एलडीसी के पद पर काम कर रहे थे और इस प्रकार जब 14.12.2018 को आदेश जारी किया गया तो उन्होंने उसी दिन से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया लेकिन जहां तक अपीलकर्ता का संबंध है, नियुक्ति आदेश बाद में जारी किया गया और भेजा गया और जब उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त हुआ, उन्होंने दिसंबर 2018 या जनवरी 2019 के महीने में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया और केवल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर कनिष्ठ व्यक्तियों को अपीलार्थी से ऊपर रखा गया। प्रत्यर्थी विभाग 2022–23 की रिक्ति के विरुद्ध गलत वरिष्ठता सूची के आधार पर जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए डीपीसी बुलाने जा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने दिनांक 4.6.2008 को एक परिपत्र जारी किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि समान चयन प्रक्रिया के अनुसरण में चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता भर्ती एजेंसी द्वारा भेजी गई सूची के आधार पर निर्धारित की जाएगी। एक ही चयन प्रक्रिया के अनुसरण में, उम्मीदवारों की पारस्परिक वरिष्ठता चयनित व्यक्तियों को निम्न पद पर कार्यरत बनाए रखा जाएगा। (अनुलग्नक–10) यदि पदोन्नति विभिन्न समूहों से होती है तो उच्च वेतनमान वाले व्यक्तियों पर पहले विचार किया जाएगा लेकिन वर्तमान मामले में सभी समूहों में 3600/– रुपये के ग्रेड वेतन में समान वेतनमान है और यदि कोई अनुपात निर्धारित नहीं है, तो परिपत्र में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति उच्च वेतनमान में उपलब्ध नहीं है तो एक चक्र बनाए रखा जाएगा लेकिन उक्त

प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और अपीलार्थी को केवल उसकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर वरिष्ठता सूची में नीचे रखा गया है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर दिनांक 2.5.2022 की वरिष्ठता सूची को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 2.5.2022 की वरिष्ठता सूची को संशोधित करने के निर्देश दिए जावे और अपीलार्थी का नाम सभी परिणामी लाभों के साथ उक्त वरिष्ठता सूची में उचित स्थान पर रखा जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर अपील का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विभाग द्वारा जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदौन्नति हेतु राज. उद्योग अधीनस्थ सेवा (उद्योग प्रसार अधिकारी/उद्योग निरीक्षक/आर्थिक अन्वेषक/हाथकरघा निरीक्षक) के कार्मिकों की अन्तःवरिष्ठता सूची विभागीय अधिकारियों की गठित कमेटी की अभिशंषा (अनुलग्नक आर–1), राज. उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24 के परन्तुक (कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ. 2(4) डीओपी/ए–2 दिनांक 24.09.83) एवं कार्मिक विभाग की राय एवं आयुक्त, उद्योग (विभागाध्यक्ष) के निर्णय (अनुलग्नक आर–2) के अनुसार संवर्ग में कार्यग्रहण करने की तिथि को आधार मानते हुए दिनांक 02.05.2022 (अनुलग्नक आर–3) को जारी की गई है। नियम 24 के परन्तुक के अनुसार अन्तःवरिष्ठता सूची निर्धारित करने का प्रावधान निम्न प्रकार है:–

"provided that subject to any predetermined seniority of persons on posts filled in by promotion the seniority inter se of the persons holding the posts mentioned in column no. 5 of the Schedule I to these Rules, for the purpose of promotion, shall be determined on the basis of length of continued officiation followed by regular selection on the post from which promotion is to be made."

विभाग द्वारा एक ही पद पर एक ही चयन से चयनित व्यक्तियों यथा उद्योग प्रसार अधिकारी/उद्योग निरीक्षक/आर्थिक अन्वेषक/हाथकरघा निरीक्षक के पदों पर पृथक–पृथक वरिष्ठता सूचियाँ मेरिट के आधार पर जारी की गई हैं। विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2021 को जारी वरिष्ठता सूची विभाग में दिनांक 01.04.2020 को कार्यरत केवल उद्योग प्रसार अधिकारी कैडर की है जो मेरिट के आधार पर जारी की गई है। यह सूची अन्तःवरिष्ठता सूची नहीं है। चयन बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उ०प्र०अधि० के पद हेतु नियुक्ति आदेश 14.12.18 को जारी किये गये है। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उद्योग निरीक्षक के पद हेतु नियुक्ति आदेश 05.10.18 को जारी किये गये है। अन्तः वरिष्ठता सूची राज, उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24 के परन्तुक एवं कार्मिक विभाग की राय/मार्गदर्शन के अनुसार जारी की गई है। विभाग द्वारा एक ही पद पर एक ही चयन से चयनित व्यक्तियों यथा उद्योग प्रसार अधिकारी/उद्योग निरीक्षक/आर्थिक अन्वेषक/हाथकरघा निरीक्षक के पदो पर पृथक–पृथक वरिष्ठता

सूचियों मेरिट के आधार पर जारी की गई है। विभाग द्वारा दिनांक 01.02.2021 को जारी वरिष्ठता सूची विभाग में दिनांक 01.04.2020 को कार्यरत केवल उद्योग प्रसार अधिकारी कैडर की है जो मेरिट के आधार पर जारी की गई है। यह सूची अन्तःवरिष्ठता सूची नहीं है। विभाग द्वारा दिनाक 01.02.2021 एवं 10.06.2021 को जारी की गई दो वरिष्ठता सूची केवल उद्योग प्रसार अधिकारी कैडर की है। ये अन्तःवरिष्ठता सूची नहीं है। विभाग द्वारा जिला उद्योग अधिकारी पद पर पदौन्नति हेतु राज. उद्योग अधिनस्थ सेवा के कार्मिकों (उद्योग प्रसार अधिकारी/उद्योग निरीक्षक/आर्थिक अन्वेषक/हाथकरघा निरीक्षक) की अन्तःवरिष्ठता सूची जारी की गई है, जोकि विभागीय अधिकारियों की गठित कमेटी की अभिशंषा, राज उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24 के परन्तुक (कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(4) डीओपी/ए–2 दिनांक 24.09.83) एवं कार्मिक विभाग की राय एवं आयुक्त, उद्योग (विभागाध्यक्ष) के निर्णय के अनुसार संवर्ग में कार्यग्रहण करने की तिथि को आधार मानते हुए जारी की गई है। राज. उद्योग अधिनस्थ सेवा के कार्मिकों (उद्योग प्रसार अधिकारी/उद्योग निरीक्षक/आर्थिक अन्वेषक/हाथकरघा निरीक्षक) की अस्थाई अन्तः वरिष्ठता सूची विभागीय अधिकारियों की कमेटी की अभिशषा पर दिनांक 06.09.2021 को जारी की गई थी। अस्थाई अन्त वरिष्ठता सूची के विरुद्ध विभिन्न कार्मिको से प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण हेतु कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। कार्मिक विभाग से प्राप्त राय एवं आयुक्त उद्योग (विभागाध्यक्ष) के निर्णय के अनुसार दिनांक 02.05.2022 को स्थाई अन्त वरिष्ठता सूची जारी की गई। (अनुलग्नक आर–3) अन्तः वरिष्ठता सूची राज, उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24 के परन्तुक एवं कार्मिक विभागकी राय एवं आयुक्त, उद्योग (विभागाध्यक्ष) के निर्णय के अनुसार जारी की गई है जो कि संवर्ग में कार्यग्रहण करने की तिथि के आधार पर जारी की गई है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 राजकीय सेवा में नियमित पदोन्नति और आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशों से संबंधित है। विभाग द्वारा जारी अन्तः वरिष्ठता सूची भी कार्मिक विभाग के मार्गदर्शन/राय के अनुसार जारी की गई है। राज उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24 की पालना करते हुऐदिनांक 02.05.2022 को जारी अन्तःवरिष्ठता सूची कार्मिक विभागकी राय/विभागाध्यक्ष के निर्णय के अनुसार जारी की गई है। राज उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24 की पालना करते हुऐ दिनाक 02.05.2022 को जारी अन्तःवरिष्ठता सूची कार्मिक विभागकी राय/विभागाध्यक्ष के निर्णय के अनुसार जारी की गई है। अस्थाई अन्तःवरिष्ठता सूची पर विभिन्न कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियों पर कार्मिक विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है। तत्पश्चात् दिनांक 02.05.2022 को स्थाई अन्तःवरिष्ठता सूची जारी की गई। कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 राजकीय सेवा में नियमित

पदोन्नति और आवश्यक अस्थाई रूप से पदोन्नति के संबंध में सामान्य दिशा निर्देशों से संबंधित है। अतः अपील खारिज की जाने योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब का उल जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 13.3.2018 के विज्ञापन के अनुसरण में उद्योग विस्तार अधिकारी के पद पर भर्ती किया गया था और चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद 27.9.2018 को परिणाम घोषित किया गया था, जिसके तहत राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता के अनुसार चयन सूची प्रकाशित की गई। प्रथम चयन सूची दिनांक 14.12.2018 को प्रकाशित की गई तथा अधियाचन दिनांक 7.1.2019 को भेजा गया तथा सामान्य वर्ग में योग्यता क्रमांक 13 होने पर दिनांक 16.1.2019 को औपचारिक नियुक्ति आदेश जारी किया गया। अपीलार्थी ने जनवरी 2019 में उद्योग विस्तार अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है और अपीलार्थी की सेवाएं राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम, 1966 (जिसे आगे संक्षेप में 1966 के नियम कहा जाएगा) के अंतर्गत शासित होती हैं, विशेष रूप से 1966 के नियमों का नियम 29 वरिष्ठता प्रदान करता है और 1966 के नियमों का उप नियम 29(3) यह प्रावधान करता है कि एक ही चयन के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा किसी विशेष श्रेणी में नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता, सिवाय उनको छोड़कर जो पद की पेशकश किए जाने पर सेवा में शामिल नहीं होते हैं, उस क्रम का पालन किया जायेगा जिसमें उनके नाम नियम 20 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई सूची में रखे गए हैं। अपीलार्थी सामान्य श्रेणी में मेरिट संख्या 13 पर है और उसके आधार पर पहली वरिष्ठता सूची 1.2.2021 को जारी की गई थी जिसमें अपीलार्थी का नाम संख्या 12 पर रखा गया था और दूसरी सूची में अपीलार्थी का नाम उचित स्थान पर रखा गया था। बाद में 2.5.2022 को एक अनंतिम वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम निचले स्थान पर रखा गया और योग्यता में नीचे वाले व्यक्तियों को अपीलार्थी के नाम से ऊपर रखा गया। संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार करते समय किसी भी नियम का पालन नहीं किया गया और जो व्यक्ति विभाग में एलडीसी के पद पर कार्यरत हैं और 14.12.2018 को जब आदेश जारी हुआ, उन्होंने उसी दिन कार्यभार ग्रहण कर लिया। जहाँ तक अपीलार्थी का संबंध है, नियुक्ति आदेश बाद में जारी किया गया और जब उन्हें नियुक्ति आदेश प्राप्त हुआ, तो उन्होंने दिसंबर 2018/जनवरी 2019 में कार्यभार ग्रहण कर लिया और केवल कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर कनिष्ठ व्यक्तियों को अपीलार्थी से ऊपर रखा गया। प्रारंभ में अंतरिम आदेश अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया था और बाद में दोनों पक्षों की सहमति से प्रतिवादियों को अपीलार्थी और अन्य व्यक्तियों को पदोन्नत करने की स्वतंत्रता दी गई और उच्च पद पर पदोन्नति आदेश जारी किया गया और प्रतिवादियों ने जवाब दाखिल किया जिसमें कहा गया कि वरिष्ठता

सूची पद पर निरंतर स्थानापन्नता के आधार पर तैयार की जाएगी, जिसका अर्थ है कि योग्यता का पालन किए बिना कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और केवल उसी आधार पर नियमों की अनदेखी करते हुए, जो व्यक्ति योग्यता में निचले हैं उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के आधार पर अपीलकर्ता से ऊपर रखा गया। उक्त प्रश्न पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार विचार किया गया, विशेष रूप से पवन प्रताप सिंह के मामले में, माननीय न्यायालय ने कहा कि वरिष्ठता के निर्धारण के प्रयोजन के लिए मूल मानदंड है, योग्यता और कार्यभार ग्रहण तिथि के अनुसार चयन सूची बनाने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यदि नियुक्ति आदेश समय पर जारी किया जाता तो वे समय पर कार्यभार ग्रहण कर सकते थे, लेकिन नियुक्ति बाद में जारी की गई और इस प्रकार अपीलार्थी ने बाद में कार्यभार ग्रहण किया। इस प्रकार, कार्मिक विभाग की राय और विभाग के निर्णय के आधार पर प्रतिवादियों द्वारा की गई कार्रवाई पूर्णतः अवैध है और परिणामी वरिष्ठता भी अवैध है। अतः अपील स्वीकार किए जाने योग्य है।

प्रस्तुत अपील पेश होने पर अधिकरण ने आदेश दिनांक 19.05.2022 द्वारा प्रत्यर्थी विभाग की वरिष्ठता सूची 02.05.2022 के अनुसरण में किसी भी प्रकार की पदोन्नति कार्यवाही अधिकरण के आगामी आदेश तक नहीं करने हेतु आदेशित किया गया।

प्रस्तुत अपील ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के अन्तर्गत रमाकांत शर्मा कुलदीप सरसर, पियूष कुमार अग्रवाल, आनन्द शर्मा ने अपील में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदकों ने अधिकरण के आदेश दिनांक 19.05.2022 को संशोधित करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिकरण द्वारा सभी पक्षों को सुनकर आदेश दिनांक 24.05.2023 द्वारा अधिकरण के पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 19.05.2022 को Modified किया गया। विभाग को DPC करने की स्वतंत्रता इस शर्त पर की गई कि DPC का परिणाम इस अपील के निर्णय के अधीन रहेगा।

हमने उभय पक्ष के उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन कर अनुशीलन एवं मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग द्वारा राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा सवंर्ग के उद्योग निरीक्षक/उद्योग प्रसार अधिकारी/आर्थिक अन्वेषक एवं हथकरघा निरीक्षक के पदों पर दिनांक 01.04.2021 के सन्दर्भ में जारी की गई स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2022 को चुनौती दी गई है। चुनौती का मुख्य आधार यह है कि आलौच्य अन्तः वरिष्ठता सूची में सेवा में उद्योग प्रसार अधिकारी के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथी के आधार पर दिनांक 24.07.2019 से वरिष्ठता प्रदान कर वरिष्ठता सूची में क्र.स. 52 पर रखा गया है। जबकि अपीलार्थी

की उद्योग प्रसार अधिकारी पर चयन की मेरिट 13 है। पूर्व में उद्योग प्रसार अधिकारी की जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.022021 (सन्दर्भ दिनांक 01.04.2020) एवं दिनांक 10.06.2021 (सन्दर्भ दिनांक 01.04.2021) में वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट के अनुसार किया गया है जो नियमानुसार सही है। अपीलार्थी राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 से शासित होता है। नियम 1966 के नियम 29 में वरिष्ठता एवं नियम 29(3) में अन्तः वरिष्ठता का प्रावधान है। अपीलार्थी का कथन है कि जारी अन्तः वरिष्ठता सूची उक्त विधिक प्रावधानों के विपरीत है।

आलौच्य स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची में अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें वरिष्ठता का निर्धारण सीधी भर्ती परीक्षा 2018 के चयन उपरान्त सवंर्ग/सेवा में पदधारण करने की तिथी से निर्धारित की गई है। उद्योग निरीक्षक/उद्योग प्रसार अधिकारी/आर्थिक अन्वेषक/हथकरघा निरीक्षक राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के सीधी भर्ती के पद है। जिससे जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होती है। राजस्थान अधीनस्थ एवं मत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा उन सभी पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 03/2018 को कुल 97 पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 03/2018 जारी कर भर्ती प्रक्रिया सम्पादित कर सफल अभ्यर्थियों का सेवा/सवंर्गवार चयन कर मेरिट अनुसार चयन सूची प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित की। प्रत्यर्थी विभाग ने चयन बोर्ड की चयन सूची की मेरिट के अनुसार सभी संवर्गों में अलग–अलग तिथियों को नियुक्ति आदेश जारी कर नियुक्तियां प्रदान की गई एवं चयनित/नियुक्त अभ्यर्थियों ने अनुमत अवधि में अलग–अलग तिथियों को कार्यग्रहण किया। आलौच्य अन्तः वरिष्ठता सूची में कार्यग्रहण तिथी को आधार मान कर सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की है। अर्थात जिस अभ्यर्थी ने पहले कार्यग्रहण कर लिया उसे अन्य से वरिष्ठ मान लिया चाहे उसकी चयन की मेरिट/रैंक नीचे रही हो। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2021 के सन्दर्भ में उसी आधार पर अस्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 06.09.2021 को जारी की थी, जिस पर अपीलार्थी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। परंतु स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची कार्यग्रहण तिथी के आधार पर ही जारी की गई है।

प्रत्यर्थी विभाग ने उद्योग प्रसार अधिकारी की नियुक्ति आदेश दिनांक 14.12.2018 को जारी किया, जिसमें अपीलार्थी दिलकुश मीणा को नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी सूर्यकांत पांडे का नियुक्ति आदेश दिनांक 16.01.2019 को जारी किया गया। इसी प्रकार उद्योग निरीक्षक का नियुक्ति आदेश दिनांक 05.10.2018 को जारी किया गया। स्पष्ट है कि अलग–अलग सवंर्ग के नियुक्ति आदेश पृथक–पृथक तिथियों को जारी किए गए है।

प्रत्यर्थी विभाग ने अन्तः वरिष्ठता जारी करने से पहले कार्मिक विभाग से दो बार परामर्श प्राप्त किया। कार्मिक विभाग द्वारा प्रदत्त राय निम्नानुसार हैः–

प्रथम परामर्शः– ''पैरा 1–6/एन के क्रम में प्रशासनिक विभाग को स्पष्ट किया जाता है कि Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966 के साथ संलग्न अनुसूची–1 की कम संख्या 1 में District Industries officer का पद 75 % Promotion द्वारा विभिन्न पदों उद्योग प्रसार अधिकारी, उद्योग निरीक्षक, आर्थिक अन्वेषण, हाथकरघा निरीक्षक इत्यादि पदों से भरे जाने का प्रावधान है। इन कार्मिकों की पदवार पृथक–पृथक वरिष्ठता सूचिया चयन बोर्ड द्वारा प्रेषित मेरिट के आधार पर जारी की जानी चाहिए। अगला पद जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु इन कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता निम्न प्राथमिकता के आधार पर की जानी चाहिएः–

1 चयन वर्ष
2. चयन कमांक
3. सेवावधि (length Of Service)

उपरोक्त पारिस्परिक वरिष्ठता निर्धारित हो जाने के पश्चात विचारण सीमा (Zoc) तैयार कर पदोन्नति पर विचार किया जावे।

अतः प्रशासनिक विभाग राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 24 के अनुसार कार्यवाही करे।''

द्वितीय परामर्शः– ''पैरा 67–69/एन के क्रम में प्रशासनिक विभाग को स्पष्ट किया जाता है कि कार्मिक विभाग द्वारा पूर्व में प्रदान की गई राय यथावत है। एक ही पद पर एक चयन से चयनित व्यक्तियों की एक ही पद वरिष्ठता चयन सूची की मेरिट के अनुसार ही रहेगी जब तक की कार्यग्रहण में विलम्ब के लिए कार्मिक दोषी न हो।

प्रशासनिक विभाग द्वारा नियम 24 के जिस परन्तुक का हवाला देते हुए प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया गया है वह किसी वरिष्ठता सूची में शामिल किये जाने वाले अलग–अलग पदों को धारित करने वाले कार्मिकों की (Inter se Seniority) के संबंध में है जिसके अनुसार ऐसे कार्मिकों की पारस्परिक वरिष्ठता पद पर स्थाई चयन पदोन्नति की सेवावधि के आधार पर की जायेगी। जिला उद्योग अधिकारी के पद पर पदोन्नति उद्योग निरीक्षक, उद्योग प्रसार अधिकारी आदि पदों से होती है। इन भिन्न–भिन्न पदों पर कार्यरत कार्मिकों को वरिष्ठता सूची में इस परन्तु के आधार पर स्थान दिया जायेगा।''

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2022 में शामिल सभी कार्मिक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 से चयनित है। यह सभी पद सेवा में सीधी भर्ती के है एवं इस सूची में शामिल समस्त कार्मिक एक ही चयन/भर्ती परीक्षा 2018 से सीधी भर्ती से चयनित है। जिनके नियुक्ति आदेश प्रत्येक सवंर्ग के लिए अलग–अलग तिथियों को जारी किए गए है। जिस कारण सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथियां भिन्न–भिन्न है।

विचारणीय प्रश्न यह है कि एक ही सीधी भर्ती परीक्षा से चयनित राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के अलग–अलग संवर्ग के कार्मिकों, जिनकी नियुक्ति आदेश अलग–अलग तिथियों को जारी हुए है, उनकी अन्तः वरिष्ठता के निर्धारण उनके चयन की मेरिट (चयन सूची) के आधार पर होगा अथवा उनके सेवा में कार्यग्रहण करने की तिथी अर्थात सेवा अवधि के आधार पर होगा।

हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी सूर्यकांत पांडे की चयन मेरिट (चयन सूची) में 13 एव दिलकुश मीणा की चयन की मेरिट (चयन सूची) 29 है परंतु अपीलार्थी को स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची में चयन बोर्ड की चयन सूची के बजाय उनके कार्यग्रहण करने की तिथी के आधार पर अन्तः वरिष्ठता सूची में दिलकुश मीणा को क्रमांक 48 एवं सूर्यकांत पांडे को क्रमांक 52 पर रखा गया है।

राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 20 में निम्न प्रावधान हैः– ‘‘20. Recommendations for the candidates- The Commission or the Appointing Authority, as the case may be, shall prepare a list of the candidates whom they/it consider suitable for appointment to the posts concerned, arranged in the order of merit. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority:"

स्पष्ट है कि चयन बोर्ड उपयुक्त पाये अभ्यर्थियों की सूची चयन की मेरिट के अनुसार तैयार कर नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।

राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 का भाग–V पदोन्नति से भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में है। इसका नियम 24(1) का परंतुक निम्नानुसार हैः–

"provided that subject to any predetermined seniority of persons on posts filled in by promotion the seniority inter se of the persons holding the posts mentioned in column no. 5 of the Schedule I to these Rules, for the purpose of promotion, shall be determined on the basis of length of continued officiation followed by regular selection on the post from which promotion is to be made."

इसके अध्ययन से स्पष्ट है कि यह प्रावधान पदोन्नति से भरे गये पद पर/ की अन्तः वरिष्ठता निर्धारण के संबंध में है। यह प्रावधान सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के संबंध में नहीं है। इसमें भी पूर्व निर्धारित वरिष्ठता के अध्यधीन ही लगातार सेवा अवधि के आधार पर अन्तः वरिष्ठता निर्धारित करने की व्यवस्था है। हम यह पाते है कि पदोन्नति के पद के अन्तः वरिष्ठता के प्रावधान को सीधी भर्ती के पद के संबंध में लागू कर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा विधिक गलती की है। वरिष्ठता संबंधी प्रावधान सेवा नियम 1966 के नियम 29 में है।

उक्त नियम 1966 का नियम 29 वरिष्ठता के संबंध में प्रावधान करता है, जो निम्नानुसार हैः–

‘‘29. Seniority:- "Seniority of persons appointed to the lowest post of the Service or lowest categories of posts in each of the Group/Sec-tion of the Service, as the case may be, shall be determined from the date of

confirmation of such persons to the said post but in respect of persons appointed by promotion to other higher posts in the Service or other higher categories of posts in each of the Group/Section in the Service, as the case may be, shall be determined from the date of their regular selection to such posts."

Provided-

(1) that the seniority inter se of the persons appointed to the Service before the commencement of these Rules and/or in the process of integration of the Service of the pre-Reorganisation State of Rajasthan or the Services of the new State of Rajasthan- established by the State Re&organisation Act, 1956, shall be deter&mined, modified or altered by the Appointing Authority, on an ad hoc basis;

(2) that if two or more persons are appointed to posts in the same category in the same year, a person appointed by promotion, shall be senior to a person appointed by direct recruitment;

(3) that the seniority inter se of persons appointed to posts in a particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection] except those who do not join service when a post is offered to them, shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared by the Appointing Authority under rule 20;"

स्पष्ट है कि सेवा नियम 1966 का नियम 29(3) के अनुसार एक ही चयन से चयनित सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों की अन्तः वरिष्ठता में नाम उसी क्रम में रखें जायेगे, जिस क्रम में नियुक्ति प्राधिकारी ने नियम 20 के अन्तर्गत तैयार की गई सूची में रखे गये है। आलौच्य स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2022 से अवलोकन से स्पष्ट है कि इसमें शामिल समस्त कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2018 से चयनित है एवं यह पद सेवा में सीधी भर्ती के पद है एवं वर्तमान में सेवा में प्रवेश के पद पर ही कार्यरत है एवं इनकी प्रथम पदोन्नति जिला उद्योग अधिकारी के पद पर होनी है। अतः इनकी अन्तः वरिष्ठता का निर्धारण नियम 29 के परतुंक (3) के अनुसार किया जाना नियमानुसार एवं विधि सम्मत होगा।

कार्मिक (क–2) विभाग द्वारा पदोन्नति के संबंध में जारी परिपत्र दिनांक 04.06.2008 का बिंदू संख्या 9 वरिष्ठता सूची के संबंध में है। जो निम्नानुसार हैः–

''9. वरिष्ठता सूची की तैयारी एवं प्रसारणः–

9.1 वर्तमान में विभिन्न सेवा नियमों में वरिष्ठता सम्बन्धी प्रावधान निम्न प्रकार से हैंः–

''वरिष्ठता.– सेवा में के संवर्ग में सम्मिलित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात् पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की

जायेगी। तदर्थ या अर्जेण्ट अस्थाई आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात् नियुक्ति नहीं समझी जायेगी.

परन्तु–

(i) प्रवर्ग–विशेष में के किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने नियुक्ति के आदेश की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ाई गई हो तो उस बढ़ाई हुई कालावधि के भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी कम में रहेगी, जिस कम में उनके नाम नियमों के अधीन बनाई गई सूची में रखे गये हैं;

(ii) यदि एक ही वर्ष के दौरान दो से अधिक व्यक्ति सेवा में नियुक्त किये गये हों तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा;

(iii) चयन के, जो पुनर्विलोकन और पुनरीक्षण के अध्यधीन न हो, परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त व्यक्ति उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे जो पश्चात्वर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित तथा नियुक्त किये गये हैं;

एक ही चयन में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर और योग्यता के आधार पर चयनित व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनकी ठीक नीचे के ग्रेड में है।''

उक्त से भी स्पष्ट है कि सीधी भर्ती की दशा में एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक अन्तः वरिष्ठता उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियमों के अधीन बनाई गई चयन सूची में रखे गये है एवं विभाग ने नियम 20 के तहत सूची बनाई है। सीधी भर्ती की दशा में अन्तः वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट के आधार पर किया जायेगा एवं कार्यग्रहण करने की तिथी इस स्थिति में एक मात्र मान्य आधार नहीं होगा।

हस्तगत प्रकरण में एक ही सीधी भर्ती परीक्षा 2018 से राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा के अलग–अलग सवंर्ग यथा उद्योग निरीक्षक उद्योग प्रसार अधिकारी, आर्थिक अन्वेषक आदि पर भर्ती प्रक्रिया सम्पादित की गई है एवं सवंर्गवार मेरिट अनुसार चयन सूचियां चयन

बोर्ड द्वारा तैयार कर प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित की गई है, जिसके आधार पर विभिन्न तिथियों में अलग–अलग सवंर्ग हेतु नियुक्ति आदेश जारी किए गए है। इस प्रकरण मं अलग–अलग सवंर्ग की चयन मेरिट, जिसके अनुसार/क्रम में नियुक्ति आदेश जारी किए गए है, के आधार पर अन्तः वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना नियुमानुसार एवं न्याय संगत होगा। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक संवर्ग की चयन मेरिट नियम 20 के अधीन तैयार की गई सूची के अनुसार अभ्यर्थियों की क्रमवार अन्तः वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी अर्थात सभी सेवाओं के चयन सूची में पहले क्रमांक (मेरिट) के अभ्यर्थियों की सबसे पहले अन्तः वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। इसके पश्चात द्वितीय क्रमांक तत्पश्चात तृतीय क्रमांक एवं आगे इसी क्रम से क्रमवार अन्तः वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। कार्मिक विभाग ने भी आपसी राय में तीन बिंदूओं के आधार पर अन्तः वरिष्ठता के निर्धारण का परामर्श दिया हैः–

(i) चयन वर्ष
(ii) चयन क्रमांक
(iii) सेवा अवधि (length Of Service)

इसी क्रमानुसार अन्तः वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। सबसे पहले चयन वर्ष लिया जायेगा। इस प्रकरण मं समस्त कर्मचारी, जो स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2022 में दर्शित है, सीधी भर्ती परीक्षा 2018 द्वारा चयनित है। अतः सभी का चयन वर्ष एक समान 2018 है। अतः द्वितीय बिंदू के आधार पर सभी सेवा/सवंर्ग की चयन सूची (मेरिट) के आधार पर क्रमावार अन्तः वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। समान चयन क्रमाक/मेरिट में अन्तः वरिष्ठता तृतीय बिंदू के आधार पर सेवा अवधि के अनुसार निर्धारित की जायेगी। अर्थात समान मेरिट/रैंक में जिसकी सेवा अवधि लम्बी है, उसे उपर रखा जायेगा एवं जिस कार्मिक की सेवा अवधि छोटी है उन्हें नीचे रखा जायेगा। यही क्रम अगले चयन क्रमांक/मेरिट में अपनाया जायेगा एंव क्रमवार लगातार यह प्रकिया जारी रखी जायेगी।

यदि इसे और अधिक स्पष्ट किया जावे तो सभी सेवाओं यथा उद्योग निरीक्षक, उद्योग प्रसार अधिकारी, आर्थिक अन्वेषण, आदि में सीधी भर्ती 2018 में चयन सूची में सभी सेवाओं प्रथम मेरिट वाले अभ्यर्थियों की अन्तः वरिष्ठता सबसे पहले उक्तानुसार निर्धारित की जायेगी। इसमें कार्मिक विभाग की राय के अनुसार सभी संवर्ग के प्रथम क्रमांक (मेरिट) के अभ्यर्थियों की अन्तः वरिष्ठता उनकी सेवा अवधि के आधार पर दी जायेगी। इसके पश्चात यही प्रक्रिया चयन सूची में द्वितीय क्रमांक (मेरिट) के अभ्यर्थियों के संबंध में अपनाई जायेगी एवं लगातार क्रमावार इस प्रक्रिया को अपनाया जायेगा। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि सभी सेवाओं

की एक समान मेरिट के अभ्यर्थियों की सेवा अवधि भी एक समान है उस दशा में अन्तः वरिष्ठता निर्धारिण में कार्मिक विभाग द्वारा पत्र दिनांक 20.03.2015 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार समान मेरिट एवं समान सेवा अवधि की दशा में अन्तः वरिष्ठता का निर्धारण निम्न मानदण्डानुसार किया जा सकेगा–

(i) जन्मतिथि के आधार पर, आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(ii) जन्म तिथि भी समान होने पर लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

(iii) जन्मतिथि एवं लिखित परीक्षा के अंक भी समान पाए जाने पर उच्चतर शैक्षणिक योग्यताधारी तथा उसमें भी उच्चतर शैक्षणिक योग्यता पहले धारण करने वाले अभयर्थी को प्राथमिकता दी जावेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उद्योग प्रसार अधिकारियों के संबंध में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 01.02.2021(सन्दर्भ दिनांक 01.04.2020) एवं दिनांक 10.06.2021 (सन्दर्भ दिनांक 01.04.2021) में पारस्परिक वरिष्ठता का निर्धारण चयन की मेरिट/रैंक के आधार पर किया है एंव दिनांक 01.04.2021 के सन्दर्भ में जारी स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05. 2020 में अन्त वरिष्ठता का निर्धारण सेवा में पदभार ग्रहण करने अर्थात सेवा अवधि के आधार पर किया गया है। इस प्रकार एक ही सन्दर्भ तिथी 01.04.2021 के संबंध में जारी दो वरिष्ठता सूचियों में भिन्न–भिन्न आधार पर अलग–अलग वरिष्ठता निर्धारित की गई है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। वरिष्ठता के संबंध में दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जा सके है। इसके संबंध में निर्धारित नियम, प्रक्रिया एवं प्रावधान है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों में अन्तः वरिष्ठता का निर्धारण सीधी भर्ती में चयन क्रम की वरिष्ठता के आधार पर किया किया जाता रहा है, जो पत्रावली पर उपलब्ध दिनांक 01.04.2013 के सन्दर्भ में जारी स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 17.01.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है। फिर अचानक आलौच्य स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2022 में वरिष्ठता का आधार बदलने का कोई औचित्य एवं विधि सम्मत आधार नहीं है, जो नियम संगत भी नहीं है। क्योंकि नियम/विधिक प्रावधान की स्थिति पूर्ववत है, उसमें कोई परिवर्तन होना प्रतिवेदित नहीं हैं।

उपर्युक्त विवेचन एवं विधिक प्रावधानों के दृष्टिगत हम यह पाते है कि स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2022 में निर्धारित अन्तः वरिष्ठता नियम एवं विधि क प्रावधानों के अनुरूप एवं सुसंगत नहीं है। अन्तः वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 29 के प्रावधान कार्मिक विभाग की राय एवं कार्मिक विभाग के पदोन्नति के संबंध में परिपत्र दिनांक 04/06/2008 एवं कार्मिक विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश/निर्देश/परिपत्र के अनुसार किया जाना अपेक्षित एंव वांछनीय है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर आलौच्य स्थायी अन्तः वरिष्ठता सूची दिनांक 02.05.2022 को निरस्त किया जाता है। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना करते हुए उक्त विवेचित तरीके से राजस्थान उद्योग अधीनस्थ सेवा नियम 1966 के नियम 29 एवं कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 04.06.2008 के अनुसार विधि सम्मत अन्तः वरिष्ठता सूची जारी की जावे। तत्पश्चात तद्नुसार जिला उद्योग अधिकारी के पद की डीपीसी/रिव्यू डीपीसी (जैसी भी स्थिति हो) सम्पादित की जाकर पदोन्नति प्रदान करने की कार्यवाही की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य